

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर
कमांक:- ई-18/एम/नियु0/मुआ/2017/ 264 दिनांक 21/4/2017

आदेश

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर द्वारा मृतक आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित आश्रितों को राजस्थान मृतसरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए सरकारी सेवा में सीधी भर्ती के लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त किया जाकर पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार लिपिक ग्रेड-द्वितीय के रिक्त पद पर किया जाता है। परिवीक्षा की कालावधि के दौरान निम्नलिखित मृतक आश्रितों को राज्य सरकार के परिपत्र कमांक एफ14(1)एफडी/रूल्स./2013PT दिनांक 08.6.15 द्वारा नियत 8910/- रुपये मासिक पारिश्रमिक संदत्त किया जावेगा। परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से लिपिक ग्रेड-द्वितीय पद का वेतनमान 5200-20200 में ग्रेड पे 2400/- अनुज्ञात किया जावेगा।

क्र0 सं0	आश्रित /मृतक कर्मचारी का नाम/पता	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान	संबंधित अधिकारी द्वारा नियुक्ति हेतु दी गई अभिशंसा का कमांक व दिनांक
1	श्री राकेश शर्मा पुत्र स्व0 श्री मोहन लाल शर्मा, सुनारों का बास, मु0पो0 चण्डावल नगर, तहसील सोजतसिटी जिला पाली	12.06.90	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोजतसिटी पाली (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली)	2255-64 दिनांक 25.02.2016
2	श्री विजय कुमार बैरवा पुत्र स्व0 श्री राजेश कुमार बैरवा, 46 ए, त्रिपति बालाजी नगर, वार्ड नं0 28 तह0 सांगानेर जिला जयपुर	28.06.97	निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0, जयपुर	3355-56 दिनांक 23.12.2015
3	श्री यशवन्त सिंह परिहार पुत्र स्व0 श्री रघुवीर सिंह परिहार, 1-बी-69 शिवशक्ति कॉलोनी, वार्ड नं. 68, शास्त्री नगर, जयपुर	17.07.97	अधीक्षक, श्वसन रोग संस्थान जयपुर	72 दिनांक 10.01.2017
4	श्री अशोक कुमार पुत्र स्व0 श्री हुकाराम, 24 शहीद भगतसिंह नगर, भालेलाव लिंक रोड सोसायटी, पाली	10.01.90	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर	398 दिनांक 20.01.2017
5	श्री करण बोरेसा पुत्र स्व0 श्री मोहन लाल बोरेसा, मकान न0 8, सर्वोदय नगर, पाली-राज0	30.06.92	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर	6305 दिनांक 23.12.2016
6	श्री सुभाष चन्द नापित पुत्र स्व0 श्री कैलाश चन्द नापित, मु0 पो0 पपुरना, तहसील-खेतडी, जिला झुंझुनू राज0	15.06.86	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू	405 दिनांक 04.02.2017
7	श्री कुलदीप सेन पुत्र स्व0 खेमराज सेन, बडा बाजार, घोसी मोहल्ला, सीमेन्ट रोड, झालावाड	08.08.88	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड	523 दिनांक 09.03.2017
8	श्री विशाल शर्मा पुत्र स्व0 श्री राजेश कुमार शर्मा, जोधपुरिया गेट के अन्दर, सोजतसिटी जिला पाली	25.07.98	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही	212 दिनांक 24.01.2017
9	श्री जगदीश नारायण योगी पुत्र स्व0 श्री किशोर, निवासी ग्राम व पोस्ट नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर	28.07.87	निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0, जयपुर	962 दिनांक 15.02.2017

10	श्री ललित कुमार पुत्र स्व० श्री प्रेम नारायण, राजकीय चिकित्सालय छबडा के पीछे, चन्द्रशेखर कॉलोनी, वार्ड नं. 4, छबडा, जिला बांरा	02.11.82	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांरा	3320 दिनांक 26.11.2016
11	श्री राधाकिशन पुत्र स्व० श्री नारायण दास बैरवा, गुढाकटलारोड पुरानाबास मुकुरपुरा की ढाणी, बॉदीकुई, तहसील बसवा, जिला दौसा	21.07.82	अधीक्षक, श्वसन रोग संस्थान जयपुर	113 दिनांक 10.02.2017
12	श्री दीपेश परिहार पुत्र स्व० श्रीमती पुष्पा गेहलोत, महादेव गली, रेलवे स्टेशन के पास, पोस्ट फालना स्टेशन, तहसील बाली जिला पाली	25.07.97	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द	419 दिनांक 10.12.2015
13	श्री हिमाशुं पारीक पुत्र स्व० श्रीमती अर्चना पुरोहित, म०न० 5-64, नन्दवानो की गली, गोपालगंज, प्रतापगढ (राजस्थान)	13.08.96	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ	385 दिनांक 09.06.2015
14	श्री विरेन्द्रनाथ पुत्र स्व० श्री काननाथ मकान नं० 168 फोजी मौहल्ला, ग्राम पोस्ट आउवा तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली	02.05.95	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही	236 दिनांक 06.03.2017

क्रम संख्या 2,3,12 एवं 13 पर अंकित कार्मिकों का प्रकरण कार्मिक विभाग से शिथिलता प्राप्त है।

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 9 के अन्तर्गत मृतक आश्रित के रूप में नवनियुक्त उक्त आश्रितों को सरकारी सेवा में नवनियुक्ति पर प्रथम उपस्थिति के समय अपनी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा का शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उक्त आवेदकों का संबंधित अधिकारी नियुक्ति पूर्व चरित्र एवं प्रागवृत्ति सत्यापन जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त करने के पश्चात ही कार्यग्रहण करवायें। परन्तु नियुक्ति में प्रथम उपस्थिति के समय राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 17 के अन्तर्गत अपने चरित्र के संबंध में उस विद्यालय का जिसमें अंतिम शिक्षा पायी है, के प्रधान शैक्षिक अधिकारी का सच्चरित्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा साथ में दो चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पूर्व के न हो, ऐसे दो जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो विद्यालय से संबंधित न हो और न कोई रिश्तेदार हो। इनके द्वारा कार्यग्रहण करते समय सम्बन्धित अधिकारी को अपनी जन्म तिथि, शैक्षणिक सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्रादि प्रस्तुत करने होंगे। जिसकी जांच एवं संतुष्टि के उपरान्त ही सम्बन्धित अधिकारी इन्हें कर्तव्य पर लेंगे। मृतक आश्रित आवेदक द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकतालिका/प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से आवश्यक रूप से करवाये।

राज्य सरकार के मेमोरेण्डम संख्या एफ13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.1.04 एवं समसंख्यक मेमोरेण्डम दिनांक 27.3.04 के अन्तर्गत अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प05(51)/कार्मिक/क-2/88 दिनांक 27.2.2001 के अन्तर्गत उपरोक्त मृतक आश्रित अपने पारिवारिक सदस्यों का उचित तौर पर भरण पोषण करेंगे। नियुक्ति के तत्पश्चात किसी भी समय यह साबित हो जाता है कि परिवार के ऐसे आश्रित सदस्यों की उपेक्षा हो रही है या उसके द्वारा उचित तौर पर उनका भरण पोषण नहीं किया जा रहा है तो शासन की इस अधिसूचना के अन्तर्गत इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प05(51)कार्मिक/क-2/88पार्ट दिनांक 21.9.10 के अनुसार लिपिक ग्रेड-द्वितीय पद पर नियुक्ति हेतु नियुक्ति पश्चात एक वर्ष के भीतर परिपत्र क्रमांक एफ07(2)कार्मिक/क-2/06 दिनांक 5.7.10 में वर्णितानुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के नियम 9 के अन्तर्गत स्थायीकरण हकदारी हेतु/वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के संदर्भ में 2 वर्ष के परिवीक्षा काल में ही टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि दो वर्ष में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की जाती है तो आगामी एक वर्ष परिवीक्षा काल बढ़ाया जा सकेगा जिससे बढी हुई अवधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। ऐसा न होने पर नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। शासन के परिपत्र संख्या प03(67)कार्मिक/क-2/84 दिनांक 31.7.99 के अनुसार टंकण परीक्षा भाषा विभाग द्वारा उत्तीर्ण करने पर मान्य होगी। टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र भाषा विभाग की ओर से जारी किये जाने पर विभाग/संबंधित अधिकारी के द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने पर विचार किया जा सकेगा।

उक्त आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति के क्रम में संबंधित मु.चि. एव स्वा. अधि./प्रमुख चिकि. अधि./अधीक्षक सामुहिक चिकित्सालय संघ/आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में गलत तथ्य

या विसंगति पाई गई तो यह अनुकम्पा नियुक्ति आदेश उस संबंधित आवेदक की सीमा तक प्रारम्भ से ही शुन्य होगी।

आश्रित को नियुक्ति दिये जाने का इन्द्राज मृतक की सेवा पुस्तिका में करें। इन्हें नियुक्ति आदेश प्रसारित होने की तिथि से एक माह की अवधि में कार्यग्रहण करना आवश्यक है, अन्यथा इस अवधि के पश्चात नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे। इनके मूल आवेदन पत्रादि सम्बन्धित को प्रेषित किये जा रहे हैं, जिन्हें कर्मचारी की निजी पत्रावली में रखा जायेगा।

उक्त नियुक्ति वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ01(2)एफडी/नियम/06 दिनांक 13.3.06, क्रमांक एफ016(2)एफडी/नियम/98 दिनांक 13.3.06 क्रमांक एफ012 (6)एफडी/नियम/05 दिनांक 13.3.06 एवं कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प0(1)कार्मिक/(क-2)/2016 दिनांक 15.07.2016 के प्रावधानों से शासित होगी।

(रामनिवास जाट)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- ई-18/एम/नियु0/मृआ/2017/ 264 दिनांक 21/4/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- निजी सचिव मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री/राज्यमंत्री, राज0 जयपुर।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि0 एवं स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर
- 3- संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राज0 जयपुर।
- 4- संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज0 जयपुर।
- 5- वित्तीय सलाहकार मुख्यालय।
- 6- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन।
- 7- अधीक्षक, श्वसन रोग संस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि संबंधित मृतक आश्रित का पुलिस वैरीफिकेशन करवाने के पश्चात ही कार्यग्रहण कराये।
नोट:-सम्बन्धित के आवेदन पत्रादि संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं (रजिस्टर्ड पत्र)
- 8- संबंधित अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह...../मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,.....
...../प्रमुख चिकित्सा अधिकारी..... को भेजकर लेख है कि संबंधित मृतक आश्रित का पुलिस वैरीफिकेशन करवाने के पश्चात ही कार्यग्रहण कराये।
नोट:-सम्बन्धित के आवेदन पत्रादि संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं (रजिस्टर्ड पत्र)
- 9- प्रभारी, सामान्य अनुभाग अराजपत्रित, मुख्यालय।
- 10-प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
- 11-संबन्धित मृतक आश्रित को घर के पते पर।
- 12-आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।